# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या – 4/2021
दायरा दिनांक – 27/01/2021
निर्णय दिनांक – 18/3/21

**उनवान**

1. चन्दना देवी पत्नी राजेश यादव जाति अहीर निवासी टोडिया का बास तन लेकडी तह0 बानसूर जिला अलवर राज0

--प्रार्थीया

**बनाम**

1. तहसीलदार बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

--अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधि0**

**उपस्थित अधिवक्तागण :–**

1. प्रार्थी – श्री बलबीर सिंह शेखावत एड0
2. अप्रार्थी – पैरोकार सरकार

## –ःनिर्णयः–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश मेरे समक्ष पेश हुई। पत्रावली के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0 566 रकबा 3.0700 है0 वाके ग्राम टोडिया का बास तह0बानसूर जिला अलवर को प्रार्थीया ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा संख्या 1654 दिनांक 01.07.2009 से कय की है। बयनामा के आधार पर इंतकाल नं0 91 दर्ज होकर स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो गया और प्रार्थीया वक्त खरीद के समय से काबिज होकर काश्त करते चली आ रही है। उक्त आराजी का बयनामा करवाते समय प्रार्थीया के सही नाम चन्दना देवी के बजाय गाँव के बोलते नाम चरणा देवी के नाम से उक्त बयनामा तहरीर व तकमील करवाया गया व बयनामा के आधार पर इन्तकाल संख्या 91 के आधार पर जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में आज दिन प्रार्थीया का नाम चन्दना देवी के बजाय चरणा देवी अंकित है। प्रार्थीया कम पढी–लिखी व ग्रामीण परिवेश की महिला होने के कारण उसका गाँव में बोलते नाम चरणा देवी बयनामा संख्या 1654 दिनांक 01.07.2009 में अंकित करवा दिया गया। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र आदि में प्रार्थीया का सही नाम चन्दना ही दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों को प्रार्थी के दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम चन्दना ही उपरोक्त आराजी के कॉलम खातेदारी में दर्ज करना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करते हुये प्रार्थी का नाम चरणा दर्ज कर दिया जो की गलत है। प्रार्थीया किसान केडिट कार्ड बनवाने के सिलसिले में पटवारी हल्का से मिली तो उसे जानकारी हुई कि विवादित आरजी के कॉलम खातेदा[illegible] उसका नाम गलत दर्ज कर रखा है। प्रार्थीया ने पुराना राजस्व रिकॉर्ड निक[illegible]कर [illegible]ांक 14.01.2021 को अप्रार्थी को विवादित आराजी के कॉलम [illegible] में दर्ज [illegible] का गलत नाम को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 17:35:45 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर।

Scanned with CamScanner

दुरुस्त कर सही नाम दर्ज करने के लिये निवेदन किया तो अप्रार्थी ने दुरुस्ती करने से साफ इंकार कर दिया।

अतः हाल आराजी खसरा नं0 566अ रकबा 03.0700 है0 वाके मौजा ग्राम टोडिया का बास तह0बानसूर जिला अलवर राज0 के कॉलम खातेदारी में प्रार्थीया का नाम चरणा देवी के स्थान पर सही नाम चन्दना देवी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज पंजिका किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार ने अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी के कॉलम खातेदारी में प्रार्थीया का नाम शुद्व करते समय राजकीय हित को ध्यान में रखते हुये विधिसंगत निर्णय पारित किया जावे।

बहस सुनी गई। प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया। हाल आराजी खसरा नं0 566 रकबा 03.07 है0 वाके मौजा ग्राम टोडिया का बास तह0बानसूर जिला अलवर राज0 प्रार्थीया की खरीदरशुदा आराजी है। वक्त बयनामा प्रार्थीया का नाम चरणा देवी बयनामें में अंकित किया गया तथा उसी आधार पर नामान्तकरण दर्ज होकर स्वीकार किया गया। परन्तु प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र में प्रार्थीया का नाम चन्दना देवी ही दर्ज है। उक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रुप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## –ःआदेशः–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 आंशिक रुप से स्वीकार कर हाल हाल आराजी खसरा नं0 566 रकबा 03.0700 है0 वाके मौजा ग्राम टोडिया का बास तह0बानसूर जिला अलवर राज0 में प्रार्थीया का नाम चरणा देवी के स्थान पर चरणा देवी उर्फ चन्दना देवी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार बानसूर को अहकाम जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

आज दिनांक--18/3/21--को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर
उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.04.06 17:35:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner